भाग IV (A): मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)

मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन, 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 ए और IVA को सम्मिलित करके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत जोड़ा गया था. इसका अर्थ है कि नागरिकों द्वारा इसकी गैर-पूर्ति के मामले में ये कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। हालांकि, राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से उन्हें लागू कर सकते हैं।

राज्य के नए नीति निर्देश सिद्धांत
42 और 44 वें संशोधन द्वारा कुछ निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। यह हैं-
42 वां संशोधन 1976- 1. बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त अवसर और सुविधाएं [39(f)]. 2. समान न्याय और गरीब नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता (39A). 3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (43 A). 4. पर्यावरण का संरक्षण व सुधार और वन व वन्यजीवों की सुरक्षा। (48 A)
44 वां संशोधन 1978-1. व्यक्तियों और लोगों के समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं को कम करना. [38(2)]
इस प्रकार, चार निर्देश सिद्धांत 42 वें संशोधन, 1976 और 44 वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़े गए हैं.
86 वां संशोधन 2002- इस संशोधन के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 45 के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका नाम है- "45। राज्य सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

अनुच्छेद 51 A इसे भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताता है-

(a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना,

(b) हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना

(c) भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना

(d) आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना

(e) भारत के सभी लोगों के बीच सौहार्द और समान भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार को त्यागना

(f) समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना

(g) वनों, झीलों, वन्य जीवन और नदियों आदि सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सभी जीवित प्राणियों के लिए दया का भाव रखना चाहिए

(h) वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच व सुधार की भावना का विकास करना

(i) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करना

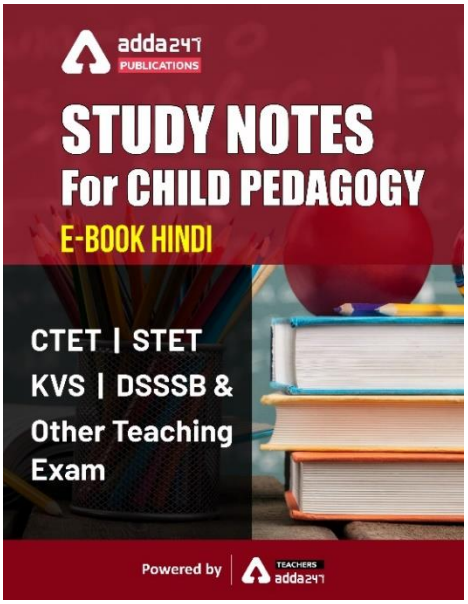

(j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना

(k) अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, या जैसा भी मामला हो, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच का हो

ध्यान दें: 11 वें मौलिक कर्तव्य को 86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया।

- किसी भी मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और न ही किसी भी धारा के उल्लंघन को रोकने के लिए
- किसी भी मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है